



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 435 सन् 2026

अभिषेक पाराशर

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संतोष कुमार राय,

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायपूति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार राय और राज्य उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. इस न्यायालय ने 19.01.2026 को विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश देते हुए इस याचिका पर विचार किया और उसके बाद मामले को आज के लिए निर्धारित किया गया। विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं, वह प्रस्तुत करते हैं कि वह निर्देशों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं और रिट याचिका के निस्तारण के लिए निर्देश आत्मनिर्भर हैं और वह कोई और शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, इस प्रकार पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए चरण में ही निर्णय किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 21.02.2018 को विकासखंड-प्रथम कोन, जिला मिर्जापुर में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। जब रिट याचिकाकर्ता ग्राम विकास अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का पालन कर रहा था और उस समय रिट याचिकाकर्ता और अन्य अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर की गई अनियमितता के संबंध में कुछ आरोपों के कारण एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गया और तीन सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर और दिनांक 08.12.2025 को उपायुक्त श्रम और रोजगार, मिर्जापुर द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके माध्यम से राज्य को 24,000/- रुपये की कथित रूप से आर्थिक क्षति की वसूली किए जाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद 17.12.2025 को रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, खंड विकास अधिकारी, विकास खंड-कोन, जिला मिर्जापुर द्वारा वसूली आदेश पारित किया गया।

4. दिनांक 08.12.2025 और 17.12.2025 के आदेशों पर सवाल उठाते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि तीन सदस्यीय समिति की आख्या के आधार पर, और रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिए बिना ही उक्त राशि की वसूली के लिए आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं। दलील यह है कि इसमें प्रक्रियागत त्रुटि है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, जिसके सिविल परिणाम निकलते हों, तो रिट याचिकाकर्ता एक प्रभावित पक्ष होने के नाते, जिसके विरुद्ध वसूली की जा रही है, को नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पूरा आरोप खंड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी आदि के विरुद्ध है, किन्तु इसके बावजूद, रिट याचिकाकर्ता पर दायित्व डाल दिया गया है।

6. प्राप्त निर्देशों के अनुसार विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 13.11.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, यद्यपि, रिट याचिकाकर्ता ने जवाब नहीं दिया और उसके बाद आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का ध्यान से अवलोकन किया है।

8. यहाँ पर तथ्य मुद्दे में नहीं हैं। यह मुद्दा नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता ग्राम विकास अधिकारी है और एक शिकायत के कारण, तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी आख्या प्रस्तुत की और उसी के आधार पर, दिनांक 08.12.2025 और 17.12.2025 का आदेश पारित किया गया। यद्यपि विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह पक्ष है कि 13.11.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन आदेश में ऐसा कोई विवरण नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बावजूद, रिट याचिकाकर्ता ने जवाब नहीं दिया। इसके अलावा दिनांक 02.02.2026, के निर्देशिका के पैरा-5 यद्यपि दिनांक 13.11.2024 के नोटिस के बारे में विवरण है, लेकिन यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि उस संबंध में उक्त नोटिस कब दिया गया था। चूंकि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है कि रिट याचिकाकर्ता को तीन-सदस्यीय समिति की प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस तामील कराया गया है, इस प्रकार, पूरी कार्रवाई विधि के अनुसार नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

9. तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित तरीके से निर्णय लिया जा रहा है:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(क). उपायुक्त श्रम एवं रोजगार, मिर्जापुर द्वारा पारित दिनांक 08.12.2025 के आक्षेपित आदेश, के साथ-साथ खंड विकास अधिकारी, विकास खंड-कोन, जिला मिर्जापुर द्वारा पारित दिनांक 17.12.2025 के आदेश को निरस्त किया जाता है।

(ख). रिट याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद मामले को विधि के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है।

10. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

11. आज दायर किए गए निर्देशों को परिशिष्ट 'एक्स' के रूप में चिह्नित के रूप में अभिलेख पर लिया जाता है।

फ़रवरी 4, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"